अध्याय - 4

निष्कर्ष एवं सुझाव

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में लोकतान्त्रिक संस्थाओं के महत्व को स्वीकारोक्ति मिलने के बाद विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने नागरिकों को लोकतान्त्रिक अधिकार प्रदान करने के प्रयास किये हैं | इस दिशा में सभी देशों ने अपनी स्थानीय परिस्थितियों एवं विभिन्नताओं के मद्देनजर ही उपयुक्त व्यवस्था को अपनाने के प्रयास किये हैं, जिसमें समाज के सभी वर्ग समूहों को शामिल करते हुये संतुलित विकास के मार्ग को चुना जा सके | अतः इस विकास यात्रा में समाज के सबसे पिछड़े वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखते हुये उन्हें साथ लेकर चलना बेहतर होगा, अर्थात् लोकतंत्र के सहभागी प्रारूप की भावनाओं के अनुरूप समाज के पिछड़े एवं वंचित समूहों के लिये विशेष प्रावधान करने होंगें, ताकि किसी भी तरह के विरोध एवं व्यवधानों से बचते हुये जन भागीदारी के साथ संतुलित विकास को हासिल किया जा सके | विश्व के विभिन्न देशों ने इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिये विकेंद्रीकरण को अपनाया है | अतः इस तरह की पहल से भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था भी अछुती नहीं रही,और विशेषतया भारतीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था की विशालता एवं विभिन्नता की दृष्टि के लिहाज से यह और भी , आवश्यक हो जाता है |

इसी क्रम में स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास किये , लेकिन इन प्रयासों से विशेष सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि इन कार्यक्रमों के संचालन में नौकरशाही का प्रभुत्व बना रहा और जन भागीदारी का नितांत अभाव महसूस किया , जो इन कार्यक्रमों की विफलता के लिये प्रमुख जिम्मेदार माना गया | इस सम्बन्ध में बनाई गई बलवंतराय मेहता समिति ने इन कारणों की पहचान की, साथ ही कुछ सिफारिशें भी की जिनके आधार पर 1959 में इस व्यवस्था को पुनर्नियोजित करके स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से और अधिक लोकतान्त्रिक बनाने के प्रयास किये गए हैं, परन्तु समय के साथ- साथ

इसमें भी कुछ विसंगतियां नजर आने लगी और आशानुरूप परिणाम नहीं मिल सके | हालाँकि इस समय भारत की राजनीतिक, आर्थिक व प्रशासनिक परिस्थितिओं भी अनुकूल नहीं रही जिसके कारण इन संस्थाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका , क्योंकि इस दौरान भारत ने न केवल तीन युद्ध (चीन, पाकिस्तान एवं बंगलादेशी मुक्ति संग्राम) लड़े बल्कि आर्थिक एवं खाद्यान संकट भी झेला | साथ ही राजनीतिक उठा-पटक भी चलती रही जिसके कारण इन संस्थाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका | अंततः जब उन्नीसवीं शताब्दी के नवें दशक में केंद्रीय शासन व्यवस्था में स्थायित्व आया, तब जाकर इन संस्थाओं की तरफ दुबारा ध्यान दिया गया और इसी क्रम में पी. के. थुंगन की अध्यक्षता में सिंघवी समिति की सिफारिशों को लागू करने के प्रयास पहले राजीव गाँधी सरकार ने किये और उसके बाद वी. पी. सिहँ सरकार के प्रयास भी दलगत राजनीति की भेंट चढ़ गए |

तदुपरांत 1991 में बनी पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में 73 वें संविधान संशोधन के माध्यम से इस व्यवस्था को एक बार पुनः समायोजित करने के प्रयास किये और आख़िरकार वे सफल भी हुये | इस संशोधन के माध्यम से समाज के कुछ वंचित वर्ग समूहों की पहचान करते हुये, उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में शामिल करने के लिये विशेष प्रावधान किये गए | अतः इसी समय महिलाओं को भी एक वंचित वर्ग के रूप में पाया गया क्योंकि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अब तक महिलाओं की भागीदारी बड़ी ही सीमित रही थी, जिसे अब तक हुये लोकसभा के आम चुनाओं के नतीजों के माध्यम से बखूबी समझा जा सकता है | जहाँ महिलाओं की भागीदारी इकाई में ही बनी हुई थी और विशेष रूप से महिला वर्ष एवं महिला दशक में तो यह अपने न्यूनतम स्तर पर भी पहुँच गई थी | लगभग यही स्थिति राज्य विधानसभाओं में भी बनी रही है |

इस विसंगति को दूर करने के लिये सहभागी लोकतंत्र की अवधारणा को अपनाते हुये महिलाओं के लिये पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई आरक्षण का

प्रावधान कर दिया गया, ताकि महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित हो सके | इसके सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगे जिनके आधार पर राजस्थान सहित कुछ राज्यों में महिलाओं को आधी आबादी के रूप में स्वीकृति मिल गई | जिसके तहत महिलाओं के लिये स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में पचास प्रतिशत पद भी आरक्षित कर दिए हैं | इससे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ गई है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर महिला प्रतिनिधिओं को अपनी भूमिका निर्वहन करने में अनेक तरह की परेशानियों को झेलना पड़ रहा था, जिससे उनकी कार्यशैली एवं नेतृत्व शैली दोनो ही प्रभावित होती हुई दिखाई देती है |

अतः इस अध्ययन के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के वास्तविक स्तर के साथ ही उनके समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियों की पहचान करने के प्रयास किये गए हैं | इसके लिये राजस्थान के अलवर जिले की पंचायती राज संस्थाओं को चुना गया है | इसमे अनुसूची एवं व्यक्तिगत अवलोकन द्वारा महसूस की गई गहन बातों को आधार बनाया गया है | जिससे अलवर जिले की पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों की व्यावहारिक स्थिति की पहचान एवं इसके समाधान के उपायों को सुझाने के प्रयास किये गए हैं |

इस अध्ययन के दौरान पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत महिला प्रतिनिधिओं के सहयोग से प्राप्त किये गए तथ्यों के आधार पर कुछ ऐसी समस्याओं की पहचान संभव हुई है, जिनका महिला प्रतिनिधियों को अपने पद की निर्धारित भूमिका निभाते समय सामना करना पड़ रहा है |

- पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को आज भी घूँघट में रहना पड़ता है अतः पर्दा – प्रथा महिला प्रतिनिधियों के लिये बड़ी चुनौती बनी हुई है |

- सामाजिक रीति-रिवाजों को निभाने की बाध्यता भी महिला प्रतिनिधिओं को अपने पद की भूमिका निर्वहन में काफी हद तक मजबूर बना देती है |
- आर्थिक अक्षमता महिला प्रतिनिधिओं को अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों से विमुख करते हुये एक बड़ी बाधा के रूप में पहचानी गई है |
- महिला प्रतिनिधियों को अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से छुटकारा नहीं मिल पाने के कारण अपने पद की भूमिका निर्वहन में परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं |
- पंचायती राज में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को आज भी स्वतंत्र निर्णय लेने एवं विचार अभिव्यक्त करने की आजादी नहीं है जो कि उनके सामने एक चुनौती के रूप में उपस्थित है |
- महिलाओं के प्रति एवं उनकी क्षमताओं के प्रति समाज व परिवार के पुरुष सदस्यों का नजरिया भी अकसर उनकी कार्यशैली एवं निर्णयों को प्रभावित एवं बाध्य करता रहता है |
- महिला प्रतिनिधियों को सामाजिक एवं व्यावहारिक अनुभव की कमी उनके लिये मजबूरी बनी हुई है, जो उन्हें अपनी भूमिका निर्वहन करते समय पीछे हटने को बाध्य करती रहती है |
- महिला प्रतिनिधिओं को पंचायती राज से सम्बंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित करने के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण उनमें अनभिज्ञता एवं अकुशलता बनी हुई है |
- महिलाओं को पंचायती राज से सम्बंधित क्रियाकलापों में शामिल होने के लिये पुरुष सदस्यों की सहायता एवं सहयोग पर निर्भर रहना पड़ता है इस मजबूरी के कारण पुरुषों की अधीनता में रहते हुये ही कार्य करना पड़ता है |

- विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण महिला प्रतिनिधियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने-जाने के लिये परिवहन सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ता है |
- पंचायती राज संस्थाओं के लगभग आधे से अधिक पंचायत मुख्यालयों पर महिलाओं के लिये सुविधाओं का अभाव पाया गया है, जो प्रतिनिधिओं को अधिक समय तक मुख्यालय पर ठहरते हुये कार्य करने में बाधक बनता है |
- पंचायती राज में कार्यरत महिला प्रतिनिधिओं से प्राप्त जानकारी से स्पष्ट होता है कि राजनीति में प्रवेश हेतु महिलाओं को पहल करने की आजादी नहीं मिली हुई है, अधिकतर महिलाओं का राजनीति में प्रवेश पुरुषों की मर्जी से ही संभव हुआ है |
- निर्वाचित महिला प्रतिनिधिओं से हुई वार्तालाप के आधार पर यह महसूस किया गया कि स्वयं महिलायें भी मनोवैज्ञानिक रूप से पुरुष आधिपत्य में रहने की अभ्यस्त हो चुकी हैं अतः न तो वे पुरुषों के इस हस्तक्षेप को बुरा मानती हैं और न ही उनकी तरफ से इस अधीनता से मुक्त होने के कोई विशेष प्रयास किये जाते हैं |
- किसी पंचायती राज संस्था के निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र होने के कारण उस पंचायत को राजनीतिक अखाड़े के रूप में बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है |
- कुछ पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्र में राज्य एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल बूथ लगे हुये हैं | जहाँ उस क्षेत्र की पंचायत के अध्यक्षों को टोल-टैक्स से छूट प्राप्त नहीं है यह उनके लिये आर्थिक कठिनाई के रूप में एक बाधा बनी हुई है |

इस अध्ययन के दौरान अलवर जिले की पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत महिला प्रतिनिधियों से मिलकर प्राप्त की गई सूचनाओं एवं उनके साथ किये वार्तालाप के दौरान पहचानी गई समस्याओं एवं हासिल की गई समझ के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं | मुझे आशा है कि ये सुझाव पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत महिला प्रतिनिधिओं के नेतृत्व की क्षमताओं के संवर्धन के साथ ही उचित एवं प्रेरक वातावरण उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगें |

- ❖ इस अध्ययन के दौरान यह पाया गया जैसा कि तालिका संख्या 11 में दर्शाया गया है कि कुल महिला प्रतिनिधिओं में से 88% प्रतिनिधि पहली बार निर्वाचित हुई हैं | अतः यह माना जा सकता है कि इन प्रतिनिधिओं को पंचायती राज संस्थाओं एवं इनकी कार्य प्रणाली के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं है जो तालिका 23 के माध्यम से भी स्पस्ट हो रहा है | अतः सबसे पहले चरण में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ऐसी जगह पर किया जाना चाहिये जहाँ प्रतिभागियों को सुलभता हो और इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिये ब्लॉक या मध्यम स्तर ही सबसे उपयुक्त स्थान हो सकता है | जिससे महिला प्रतिनिधियों में जागरूकता आएगी एवं पुरुषों पर उनकी निर्भरता भी नहीं रहेगी |
- ❖ इस अध्ययन में प्राप्त की गई सूचनाओं से ज्ञात और तालिका 24 में क्रम संख्या 1,2 व 4 में प्रदर्शित तथ्यों से स्पष्ट है कि लगभग 90% या इससे अधिक महिला प्रतिनिधिओं को पर्दा-प्रथा, सामाजिक परिवेश, रीतियाँ, एवं महिलाओं के प्रति पुरुषों की संकुचित धारणाओं को न चाहते हुये भी झेलना पड़ता है | अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं एवं संभावनाओं को परदे के अन्दर से या पुरुषों के माध्यम से समझना पड़ता है या फिर वंचित रह जाये तो भी कोई ताज्जुब की बात नहीं |

अतः राज्य सरकार के माध्यम से ही कुछ इस तरह के आदेश जारी किये जाने चाहिये जैसे 2015 में पंचायतों के निर्वाचन से पहले उम्मीदवारों के लिये घर में शौचालय के सम्बन्ध में जारी किये गए थे | जिससे महिला प्रतिनिधियो को घूँघट के साथ ही अन्य सामाजिक बाध्यताओं से मुक्ति मिल सके और महिला प्रतिनिधिओं के प्रति पुरुषों की सोच में भी बदलाव संभव हो सकें | इससे महिला प्रतिनिधिओं को अपनी सामाजिक एवं व्यावहारिक समझ विकसित करने के अवसर उपलब्ध होगें और उनकी कार्यशैली पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगें |

- ❖ सभी पंचायती राज संस्था मुख्यालयों पर महिला प्रतिनिधिओं के ठहराव बढ़ाने व सुविधाजनक माहौल देने के क्रम में महिलाओं के लिये अलग से सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिये इसके लिये राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को अतिशीघ्र धन उपलब्ध करवाना चाहिये |
- ❖ महिला प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी बाधा आर्थिक अक्षमता के निदान हेतु उन्हें कम से कम इतना मानदेय तो देना ही होगा जिससे अपने परिवार का भरण-पोषण, वर्तमान पदभार के कारण बढे खर्चों की पूर्ति, परिवार में निर्धारित व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से मुक्ति के साथ ही परिवार पर प्रतिनिधि के नाते आर्थिक निर्भरता से मुक्ति मिल सके और महिला प्रतिनिधि परिवार के खर्चों एवं कार्यों से निश्चिन्त, मानसिक सक्रियता, एवं पारिवारिक दबाव से मुक्त होकर सक्रियता के साथ अपना पूरा समय पदभार हेतु देने में सक्षम एवं तत्पर रह सके |
- ❖ जब महिला प्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से सक्षम बना दिया जायेगा तो निश्चित ही वे पारिवारिक दबाव व बाध्यताओं से मुक्त हो जायेंगी | जिससे उनके स्वतंत्र निर्णय लेने एवं स्वतंत्रतापूर्वक विचार अभिव्यक्त

करने की संभावनाएं भी बढ़ जायेंगी | इसके साथ ही उनके प्रति समाज का नजरिया भी परवर्तित होने की आशा की जा सकती है |

- ❖ महिला प्रतिनिधियों को पंचायती राज के क्रियाकलापों में शामिल होने एवं अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने–जाने के लिये राज्य सरकार की तरफ से दुपहिया वाहन हेतु ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि इन प्रतिनिधियों की पुरुषों पर निर्भरता न रहे और साथ ही अपने विस्तृत निर्वाचन क्षेत्र में आने –जाने की सुगमता व सक्रियता बनी रहे | राजस्थान की ग्राम पंचायतों में 5 से 7.5 हजार की आबादी निर्धारित की गई है | अतः अधिकतर ग्राम पंचायतों में 3-5 गाँव शामिल हैं जबकि एक पंचायत तो ऐसी भी है जो 35 ढाणीयों को मिलकर बनी है और इन मार्गों पर सार्वजानिक परिवहन सुविधा भी उपलब्ध नहीं है |
- ❖ पंचायत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधि की भूमिका जनसेवक की होती है अतः उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में लगे टोल बूथ पर भुगतान करने से छूट मिलनी चाहिये अन्यथा यह उस पंचायत क्षेत्र एवं प्रतिनिधि दोनो के साथ ही अन्याय पूर्ण कदम कहा जायेगा |
- ❖ राज्य की कुछ पंचायतों का क्षेत्र एक से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में बंटा हुआ है | जिसके कारण यह पंचायतें राजनीतिक अखाड़े के रूप भारी क्षति झेल चुकी हैं | जैसाकि पिछले दिनों नीमराना पंचायत में घटित हुआ अतः राज्य निर्वाचन आयोग एवं सरकार को इस तरह की बुराइयों से बचने हेतु परिसीमन के समय पंचायत क्षेत्र के टुकड़े होने से बचाने के प्रयास करने चाहिये |
- ❖ एक और महत्वपूर्ण सुझाव यह भी हो सकता है कि राजस्थान सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है |

इसकी मंशा महिलाओं को समाज में निचले नहीं बल्कि समकक्ष पायदान पर लाना है अतः इस दिशा में आरक्षण एक उचित प्रयास भी कहा जा सकता है और निश्चित रूप से इससे महिला प्रतिनिधियों की संख्या तो बढ़कर 50% से भी अधिक हो गई है लेकिन व्यावहारिक स्थिति बड़ी चकित कर देने वाली है क्योंकि इन चुनावों में एक और शर्त के रूप में शिक्षा को भी शामिल किया गया है, जिसके परिणाम देखने में बड़े ही आकर्षक हैं लेकिन इसका एक दूसरा प्रभाव बड़ा ही सुन्दर और साथ ही खतरनाक भी कहा जा सकता है | अर्थात् सुन्दर इसलिए की अब हमारी पंचायतें युवा चेहरों से सजी हुई हैं | यानि 35 साल से कम उम्र की बात करे तो 82% और अगर 30 साल से कम की बात की जाये तो 67% और इसमें से 30% तो 25 साल से भी कम आयु की हैं | इसके अलावा कुल प्रतिनिधिओं में केवल एकमात्र मुखिया अविवाहित है अर्थात् बाकि बची हुई प्रतिनिधि अपने ससुराल में कमान संभाल रही हैं | अब शायद मुझे कहने की जरुरत नहीं बची कि हमारी ये युवा प्रतिनिधि अपने ससुराल में कितने दिनों से आई एवं यहाँ के बारे में क्या-क्या अनुभव रखती हैं और कैसा कार्य कर सकती हैं | अब बताना चाहूँगा की एकमात्र महिला प्रतिनिधि 48 साल की हैं, एवं सबसे अधिक आयु भी इन्ही की है | जबकि वास्तविकता यह है कि गाँव की उम्रदराज महिलाओं को अपने ससुराल में न केवल लम्बा अनुभव होता है बल्कि उनके मामले में पुरुष प्रभुत्व कारक भी फेल हो जाते हैं और उन्हें ही इस प्रतिद्वन्दिता से बाहर कर दिया गया है इसलिए मैं इन नतीजों को खतरनाक भी कहूँगा | इस सम्बन्ध मेरा मानना है यदि हमें महिलाओं को पंचायतीराज के माध्यम से राजनीति में सच्चा भागीदार बनाना है तो 50 साल से अधिक उम्र प्राप्त महिलाओं के मामले में शिक्षा की शर्त से

छूट दे देनी चाहिये तब हमें अधिक आशानुरूप परिणाम मिलेंगे एवं महिला हितों में वास्तविक अभिवृद्धि होगी,ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है |

अतः जब महिला प्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय के द्वारा आर्थिक रूप में सक्षम बना कर पारिवारिक कार्यों के साथ ही परिवार पर आर्थिक निर्भरता से भी मुक्त कर दिया जायेगा तो निश्चित रूप में ही दूसरी महिलाएं इस क्षेत्र की तरफ आकर्षित होकर स्वयं की पहल पर राजनीति में प्रवेश कर सकेंगी | दुपहिया वाहन हेतु ब्याज मुक्त ऋण जैसी सुविधाएँ मिलने से वे स्वयं ही अपने साधन से पंचायती कार्यों में भाग लेने व निर्वाचन क्षेत्र में विचरण के लिये आ-जा सकती हैं | इस तरह वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगीं और पुरुष अधीनता से भी मुक्त हो सकती हैं | अतः पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत महिला प्रतिनिधिओं को सक्षम एवं योग्य बनाते हुये, उन्हें अपने अधिकारों, पद एवं प्रतिष्ठा के प्रति जागरूक भी बनाया जा सकेगा | साथ ही अपने पद एवं प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में महिला प्रतिनिधिओं का जागरूक होना भी आवश्यक है, अन्यथा महिलाओं को दिए गए इस पचास प्रतिशत आरक्षण के वास्तविक फायदे महिला वर्ग को नहीं मिल सकेंगें |